एम॰ ए॰(हिन्दी) भाग-दो

प्रश्न पत्र - 4

निबंध-

(तृतीय सत्र)

निबंध - इस प्रश्न पत्र में आदिकाल, भक्तिकाल एवं रीतिकाल पर आधारित दस विषय दिये जायेंगे। जिनमें से किसी दो विषय पर निबंध लिखने होंगे। जिसके लिए अस्सी (80 अंक) होंगे।

(2×40 = 80 अंक)

लिखित प्रश्न पत्र - 80 अंक
आंतरिक मूल्यांकन - 20 अंक } = 100 अंक

एम॰ ए॰(हिन्दी) भाग-दो

प्रश्न पत्र - 4

निबंध / लघु परियोजना

(चतुर्थ सत्र)

अ) निबंध -

- आधुनिक काल - भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। (काव्य)
- उपन्यास, कहानी, नाटक - (उद्भव और विकास)
- साहित्यिक विमर्श - स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श और बाल विमर्श

इन विषयों पर आधारित कुल दस विषय दिये जायेंगे जिनमें से किन्हीं दो पर निबंध लिखने होंगे। जिसके लिए अस्सी अंक होंगे। (2×40 = 80 अंक)

अंक विभाजन – निर्धारित प्रश्नपत्र – 80 अंक } = 100 अंक.
आन्तरिक मूल्यांकन – 20 अंक }

आ) लघुपरियोजना –

हिन्दी साहित्य और हिन्दी भाषा से संबंधित किसी एक विषय को आधार बनाकर विद्यार्थी एक लघु परियोजना प्रस्तुत करेगा। यह परियोजना लगभग 40 से 50 पृष्ठों की होगी। छात्र द्वारा 31 मार्च तक इस लघु परियोजना की दो प्रतियाँ संबन्धित महाविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। इसके लिए कुल 100 अंक होंगे। अंक विभाजन इस प्रकार होगा –

लघुपरियोजना – 80 अंक } = 100 अंक
मौखिकी – 20 अंक }

लघु परियोजना हेतु निर्देश –

1. लघु परियोजना प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थी को एम॰ ए॰ (भाग-एक) में कम से कम 55% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।
2. प्रश्न पत्र चार के अन्तर्गत लघु परियोजना लेखन के लिए 80 अंक और मौखिकी के लिए 20 अंक होंगे।
3. छात्रों को लघु परियोजना 31 मार्च के पहले जमा करना अनिवार्य होगा।
4. जिन प्राध्यापकों ने आचार्य पदवी प्राप्त की हो या जिन्हें पाँच वर्ष का स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव हो अथवा जिन्हें सात वर्षों का स्नातक कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव हो, उन्हें मार्गदर्शन की स्वीकृति मिल सके।
5. लघु परियोजना के लिए एक मार्गदर्शक के पास पाँच से अधिक विद्यार्थी न हो।
6. संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती से संलग्नित किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय

के विषय प्राध्यापक को ही लघुपरियोजना की मौखिकी के लिए परीक्षक नियुक्त किया जाए।

7. लघुपरियोजना की दो प्रतियाँ महाविद्यालय में जमा करनी होगी। लघुपरियोजना 40 से 50 पृष्ठों की होनी चाहिए लघुपरियोजना टंकित अथवा सुवाच्य अक्षरों में होना आवश्यक है।

8. किसी एक परीक्षक के पास दस से अधिक छात्र मौखिकी के लिए न भेजे जाए।